(26)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : मनोज गोयल,
प्रशासकीय सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक 481–दो/2013 विरूद्ध आदेश दिनांक 22–05–2012 पारित द्वारा न्यायालय तहसीलदार तहसील देवेन्द्रनगर जिला पन्ना के प्रकरण कमांक 13/अ–12/2011–12

हरदयाल पुत्र हरिया अहिरवार
निवासी देवेन्द्रनगर जिला पन्ना म.प्र.

.....आवेदक

विरूद्ध

नबाब अली पुत्र अल्लारखी
निवासी देवेन्द्र नगर पन्ना म0प्र0

.....अनावेदक

.....

श्री राजेन्द्र जैन, अभिभाषक, आवेदक
श्री डी0एस0चौहान, अभिभाषक, अनावेदक

.....

:: आ दे श ::

( आज दिनांक 10/12/14 को पारित )

यह निगरानी आवेदक द्वारा भू–राजस्व संहिता, 1959 ( जिसे केवल संहिता कहा जायेगा ) की धारा 50 के अंतर्गत न्यायालय तहसीलदार देवेन्द्रनगर जिला पन्ना के प्रकरण कमांक 13/अ–12/2011–12 में पारित आदेश दिनांक 22–5–2012 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि अनावेदक द्वारा तहसीलदार के समक्ष एक आवेदन पत्र संहिता की धारा 129 के तहत इस आशय का प्रस्तुत किया कि ग्राम देवेन्द्र नगर, रा0नि0म0 देवेन्द्र नगर तहसील देवेन्द्र नगर स्थित भूमि सर्वे कमांक 388/3 रकवा 0.223 का सीमांकन कराया जावे । तहसीलदार द्वारा अनावेदक के उक्त आवेदन पत्र को राजस्व निरीक्षक मण्डल देवेन्द्र नगर की ओर भेजकर आदेशित

किया कि आवेदित आराजियात को मौके पर सीमावर्ती कृषक को सूचना देकर सीमांकन कर प्रतिवेदन दें । तहसीलदार के आदेश के पालन में राजस्व निरीक्षक द्वारा मौके पर पंचनामा बनाकर आवेदक को कोई सूचना नहीं दी इसके अतिरिक्त उसके विरूद्ध उस पंचनामे पर टिप्पणी अंकित कर तहसीलदार की ओर प्रतिवेदन भेज दिया । तहसीलदार द्वारा उक्त प्रतिवेदन के आधार पर अनावेदक का सीमांकन पारित आदेश दिनांक 22–5–12 से स्वीकार किया गया, जिसे व्यथित होकर आवेदक द्वारा यह निगरानी इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के अभिभाषक द्वारा तर्को में मुख्य रूप से यह बताया कि अधीनस्थ तहसीलदार न्यायालय द्वारा प्रश्नाधीन आदेश पारित करते समय राजस्व निरीक्षक के प्रतिवेदन पर विश्वास कर आदेश पारित किया है जबकि तहसीलदार को सरहदी कृषकों को सूचना देकर ही राजस्व निरीक्षक की ओर भेजा जाना चाहिये था । राजस्व निरीक्षक द्वारा अनावेदक से मिलकर आवेदक के विरूद्ध झूठी रिपोर्ट लगाकर पंचनामा बनाया गया है ऐसे पंचनामा व प्रतिवेदन विश्वसनीय नहीं है । तहसीलदार द्वारा इस तथ्य पर विचार नहीं किया कि जब पंचनामा में आवेदक की भूमि पर आधिपत्य है तब स्वयं उपस्थित क्यों नहीं होता । तर्क में यह भी बताया कि तहसीलदार द्वारा इस तथ्य पर भी विचार नहीं किया कि राजस्व निरीक्षक द्वारा जो प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है उसके साथ सूचना पत्र की प्रति प्रस्तुत की गई है लेकिन उक्त सूचना पत्र पर आवेदक के हस्ताक्षर नहीं है इससे स्पष्ट है कि राजस्व निरीक्षक द्वारा आवेदक को कोई सूचना नहीं दी गई है ऐसी परिस्थितियों में अधीनस्थ न्यायालय का आदेश स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है । अंत में आवेदक अधिवक्ता द्वारा निवेदन किया कि तहसीलदार न्यायालय द्वारा पारित आदेश निरस्त किया जाकर निगरानी स्वीकार किये जाने का अनुरोध किया ।

4/ अनावेदक की ओर से अधिवक्ता द्वारा लिखित तर्को में यही कहा कि तहसीलदार देवेन्द्र नगर द्वारा पटवारी हल्का जिगरहा, हल्का पटवारी देवेन्द्र नगर हल्का पटवारी खपटा के सहयोग से मौके पर जरीब से नापकर विधिवत् आवेदक व अनावेदक एवं सरहदी कृषकों की उपस्थित में सीमांकन कर आराजी की सभी सीमाएं

बताई गई । आवेदक हरदयाल अहिरवार एवं सरहदी कृषक मंजूलता के पति हेमन्त सीमांकन के समय मौके पर उपस्थित रहे किन्तु सूचना पत्र एवं पंचनामा में हस्ताक्षर करने से इंकार किया । लिखित तर्क में यह भी बताया कि उक्त विवादित आराजी नम्बर 388/3 रकबा 0.223 हेक्टर अनावेदक के स्वत्व स्वामित्व व आधिपत्य की भूमि होकर शाासकीय अभिलेखों में दर्ज है जिस पर अनावेदक काबिज होकर कृषि कार्य करता चला आ रहा है । अनावेदक द्वारा आराजी नम्बर 388/3 रकबा 0.223 हेक्टर जर्ये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र द्वारा कय की गई है जिसके आधार पर अनावेदक का नामान्तरण स्वीकार किया गया तब से अनावेदक उक्त भूमि का भूमिस्वामी व आधिपत्यधारी चला आ रहा है । अंत में अनावेदक अधिवक्ता द्वारा निवेदन किया कि तहसीलदार द्वारा पारित आदेश स्थिर रखा जाकर निगरानी निरस्त किये जाने का अनुरोध किया ।

5/ उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं के द्वारा प्रस्तुत तर्को के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा पारित आदेश का सूक्ष्मता से अध्ययन किया गया । विचारण न्यायालय के प्रकरण के अवलोकन से स्पष्ट है कि आवेदक सीमांकन के दौरान उपस्थित रहा है । इसका स्पष्ट उल्लेख अन्य ग्रामवासियों की उपस्थिति में तैयार पंचनामें में है जिसके खण्डन में आवेदक ने कोई साक्ष्य पेश नहीं किया है । आवेदक द्वारा यह निगरानी प्रस्तुत करने का एक मात्र आधार उसे सूचना पत्र की तामीली न होना लिया है । उसने यह नहीं बताया कि सीमांकन में क्या त्रुटि/अनियमितता हुई है क्योंकि आवेदक सीमांकन के दौरान उपस्थित रहा है अतः सूचना पत्र की उस पर तामीली न होना कोई आधार नहीं रह जाता है ।

6/ उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में यह निगरानी आधारहीन होने से अमान्य की जाती है ।

(मनोज गोयल)
प्रशासकीय सदस्य
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर